संख्या-590/2023/03/22-2-2023-17(479)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 29 सितम्बर, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनूप सिंह पुत्र श्री शहीराम, निवासी जनपद-सहारनपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-40350/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-30-12-2022) दिनांक-30-12-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनूप सिंह पुत्र श्री शहीराम, कस्बा व थाना-रामपुर, जनपद-सहारनपुर का निवासी है। दिनांक-07-02-1992 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बलदेव सिंह के मकान जनपद-सहारनपुर से चन्द्रपाल उर्फ चन्द्रप्रकाश नामक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया तथा फरीदाबाद के निकट हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-66/1995 में भा0द0वि0 की धारा-364, 302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष सं0-1, सहारनपुर के आदेश दिनांक 24-09-2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.08.2021 तक अपरिहार 15 वर्ष, 11 माह, 29 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 10 माह, 03 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध संज्ञेय अपराध है, जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ने, बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 07.02.1992 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बलदेव सिंह के मकान जनपद-सहारनपुर से चन्द्रपाल उर्फ चन्द्रप्रकाश नामक व्यक्ति का अपहरण कर लिया तथा फरीदाबाद के निकट हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अनूप सिंह पुत्र शहीराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनूप सिंह (बन्दी संख्या-11802) पुत्र श्री शहीराम, निवासी जनपद-सहारनपुर को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-590/2023/03(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (क्रि0) संख्या-150/2022 ओमकार सिंह उर्फ फौजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के साथ सहबद्ध रिट याचिका संख्या-160/2022 विनयपाल व 24 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2022 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-590/2023/03/22-2-2023-17(479)/2023

दिनांक 29 सितम्बर, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनूप सिंह पुत्र श्री शहीराम, कस्बा व थाना-रामपुर, जनपद-सहारनपुर का निवासी है। दिनांक-07-02-1992 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बलदेव सिंह के मकान जनपद-सहारनपुर से चन्द्रपाल उर्फ चन्द्रप्रकाश नामक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया तथा फरीदाबाद के निकट हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-66/1995 में भा0द0वि0 की धारा-364, 302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष सं0-1, सहारनपुर के आदेश दिनांक 24-09-2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.08.2021 तक अपरिहार 15 वर्ष 11 माह 29 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 10 माह, 03 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध संज्ञेय अपराध है, जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ने, बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 07.02.1992 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बलदेव सिंह के मकान जनपद-सहारनपुर से चन्द्रपाल उर्फ चन्द्रप्रकाश नामक व्यक्ति का अपहरण कर लिया तथा फरीदाबाद के निकट हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अनूप सिंह पुत्र शहीराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।